(178)

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल रीवा
संभाग रीवा

निग -1433-II-16

प्र.क्र. R 1433 / 2016 पुनरीक्षण

1. बैवा विद्या मिश्रा पत्नी स्व. श्री रामकुशल मिश्रा उम्र 60 वर्ष पेशा ग्रहणी
2. प्रभाकर मिश्रा पुत्र स्व. श्री रामकुशल मिश्रा उम्र 42 वर्ष पैशा वकालत
3. जीतेन्द्र मिश्रा पुत्र स्व. श्री रामकुशल मिश्रा उम्र 38 वर्ष पैशा वकालत

तीनों निवासी ग्राम जोन्ही हाल पता पढरा दुर्गा माता मंदिर के पास ए.जी. कालेज रोड रीवा (म.प्र.)

.... आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 5-5-16 प्रस्तुत

5-5-16

5-5-16

विरूद्ध

वारिश (1) राम विश्वास मिश्रा ग्राम-जोन्ही तह. हुजूर थाना - चोरहटा जिला रीवा
आदेश दिनांक - 22/3/17 के तहत संसोधन किया गया
20/4/17

1. मृतक राजाराम तनय श्री सुखदेव ब्रा. सा. जोन्ही तहसील हुजूर जिला रीवा
2. गंगा पुत्री श्याम सुन्दर पत्नी देवशरण ब्रा. सा.जोन्ही हाल मुकाम रिमारी तहसील रघुराज नगर जिला सतना
3. ठाकुर प्रसाद तनय श्री सुखदेवराम ब्रा. सा. जोन्ही तह. हुजूर जिलारीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1433–दो/16 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री नीलग्रीव पाण्डे द्वारा यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 64/अ–6/2087–88 में पारित आदेश दिनांक 05.06.15 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है निगरानी के साथ धारा'5 का म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र एवं धारा 48 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 11 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सकें समयाविधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक	

विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य